माननीय मुख्यमंत्री महोदय
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय : **कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 10.10.2002 में संशोधन नहीं करने के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ''राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 10.10.2002 के परिपत्र के अनुसार अनु. जाति, जनजाति के अधिकारी/कर्मचारी जब तक उपलब्ध नहीं होते तब तक पद खाली रखे जावेंगे'', लेकिन आज दिनांक 15.10.2012 की राजस्थान पत्रिका में छपी खबर के अनुसार ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार केवल तीन वर्ष तक ही पदों को अग्रेषित करने का निर्णय ले रही है।

कार्मिक विभाग से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त अधिसूचना पदोन्नति के सम्बन्ध में न होकर विभिन्न सेवाओं में प्रथम प्रवेश की भर्ती के बैकलॉग के सम्बन्ध में जारी की जा रही है।

महोदय हम आपके ध्यान में लाना चाहते है कि वर्ष 2000 से पूर्व इस प्रकार की व्यवस्था होने के कारण बैकलॉग की रिक्तियों को भरने के सम्बन्ध में काफी अनियमितताएँ व गड़बड़ियाँ की जाती रही थी। योग्यता के अनुसार अभ्यार्थी की अनुउपलब्धता तथा अन्य बहाने लेकर बैकलॉग के पदों को अजा, जजा से भरने की बजाय सामान्य वर्ग से भर दी जाती थी। इसी समस्या के समाधान के लिए दिनांक 09.06.2000 को संविधान में संशोधन कर आर्टीकल 16 (4बी) जोड़ा गया। जिससे द्वारा बैकलॉग की रिक्तियों को भरने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई तथा 50 प्रतिशत से भी अधिक सीमा तक भरने का प्रावधान किया गया। इस आर. के. सबरवाल के मामले में भी माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा सिविल रिट पीटिशन संख्या 79/1979 निर्णय दिनांक 10.02.2005 में सही माना गया है तथा राज्य सरकार द्वारा उक्त संशोधन की पालना में अधिसूचना दिनांक 10.10.2002 जारी कर अजा, जजा के हितों की रक्षा की गई थी।

महोदय यदि इस अधिसूचना को वापिस कर तीन वर्ष का प्रावधान किया जाता है तो इससे अजा, जजा वर्ग के कर्मचारियों का ही नहीं वरन् बेरोजगार युवाओं के भविष्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर अजा, जजा वर्ग में

भारी असन्तोष व्याप्त हो गया है। सरकार द्वारा पदोन्नति के मामले में जो मामूली राहत दी गई थी उस पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है।

महोदय हम आपसे यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि इसको येन केन प्रकारेण पदोन्नति के सम्बन्ध में लागू किया जायेगा। इससे राज्य सरकार द्वारा अजा जजा वर्ग को पदोन्नति में जो लाभ दिया गया है वह प्रभावहीन हो जायेगा।

उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अजा, जजा वर्ग के कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए संविधान में संशोधन किया गया था तथा राज्य सरकार द्वारा 10.10.2002 को नियम बनाये गये थे।

यह कार्य पूर्व भाजपा सरकार ने भी करने का प्रयास किया तो विधान सभा में अनु. जाति/जनजाति के विधायकों द्वारा 20.10.2000 एवं 10.10.2002 के नियम में किसी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जायेगी को लेकर हंगामा हुआ उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया की अनुपस्थिति में श्री घनश्याम तिवाड़ी, तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि उपर्युक्त दोनों नियमों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जावेगा। यह राज्य सरकार भी उसी कार्य की पुनर्रावृति करने जा रही है जिससे अजा/जनजाति वर्ग के कर्मियों की पदोन्नतियों पर तथा सीधी भर्ती पर विपरित असर पड़ेगा। इससे आरक्षित वर्ग में भारी रोष है।

अतः **अनु जाति, जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान** आपसे निवेदन करता है कि 10.10.2002 के आदेश में किसी तरह का संशोधन नहीं किया जावे अन्यथा प्रदेश के अजा, जजा वर्ग आंदोलन करने को मजबूर होगा।

भवदीय

ई. आशा राम मीणा
महासचिव

जे.पी. विमल (Retd. IAS)
अध्यक्ष

श्रीमान मुख्य सचिव महोदय
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय : **कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 10.10.2002 में संशोधन नहीं करने के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ''राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 10.10.2002 के परिपत्र के अनुसार अनु. जाति, जनजाति के अधिकारी/कर्मचारी जब तक उपलब्ध नहीं होते तब तक पद खाली रखे जावेंगे'', लेकिन आज दिनांक 15.10.2012 की राजस्थान पत्रिका में छपी खबर के अनुसार ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार केवल तीन वर्ष तक ही पदों को अग्रेषित करने का निर्णय ले रही है।

कार्मिक विभाग से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त अधिसूचना पदोन्नति के सम्बन्ध में न होकर विभिन्न सेवाओं में प्रथम प्रवेश की भर्ती के बैकलॉग के सम्बन्ध में जारी की जा रही है।

महोदय हम आपके ध्यान में लाना चाहते है कि वर्ष 2000 से पूर्व इस प्रकार की व्यवस्था होने के कारण बैकलॉग की रिक्तियों को भरने के सम्बन्ध में काफी अनियमितताएँ व गड़बड़ियाँ की जाती रही थी। योग्यता के अनुसार अभ्यार्थी की अनुउपलब्धता तथा अन्य बहाने लेकर बैकलॉग के पदों को अजा, जजा से भरने की बजाय सामान्य वर्ग से भर दी जाती थी। इसी समस्या के समाधान के लिए दिनांक 09.06.2000 को संविधान में संशोधन कर आर्टीकल 16 (4बी) जोड़ा गया। जिससे द्वारा बैकलॉग की रिक्तियों को भरने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई तथा 50 प्रतिशत से भी अधिक सीमा तक भरने का प्रावधान किया गया। इस आर. के. सबरवाल के मामले में भी माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा सिविल रिट पीटिशन संख्या 79/1979 निर्णय दिनांक 10.02.2005 में सही माना गया है तथा राज्य सरकार द्वारा उक्त संशोधन की पालना में अधिसूचना दिनांक 10.10.2002 जारी कर अजा, जजा के हितों की रक्षा की गई थी।

महोदय यदि इस अधिसूचना को वापिस कर तीन वर्ष का प्रावधान किया जाता है तो इससे अजा, जजा वर्ग के कर्मचारियों का ही नहीं वरन् बेरोजगार युवाओं के भविष्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर अजा, जजा वर्ग में

भारी असन्तोष व्याप्त हो गया है। सरकार द्वारा पदोन्नति के मामले में जो मामूली राहत दी गई थी उस पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है।

महोदय हम आपसे यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि इसको येन केन प्रकारेण पदोन्नति के सम्बन्ध में लागू किया जायेगा। इससे राज्य सरकार द्वारा अजा जजा वर्ग को पदोन्नति में जो लाभ दिया गया है वह प्रभावहीन हो जायेगा।

उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अजा, जजा वर्ग के कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए संविधान में संशोधन किया गया था तथा राज्य सरकार द्वारा 10.10.2002 को नियम बनाये गये थे।

यह कार्य पूर्व भाजपा सरकार ने भी करने का प्रयास किया तो विधान सभा में अनु. जाति/जनजाति के विधायकों द्वारा 20.10.2000 एवं 10.10.2002 के नियम में किसी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जायेगी को लेकर हंगामा हुआ उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया की अनुपस्थिति में श्री घनश्याम तिवाड़ी, तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि उपर्युक्त दोनों नियमों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जावेगा। यह राज्य सरकार भी उसी कार्य की पुनर्रावृति करने जा रही है जिससे अजा/जनजाति वर्ग के कर्मियों की पदोन्नतियों पर तथा सीधी भर्ती पर विपरित असर पड़ेगा। इससे आरक्षित वर्ग में भारी रोष है।

अतः **अनु जाति, जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान** आपसे निवेदन करता है कि 10.10.2002 के आदेश में किसी तरह का संशोधन नहीं किया जावे अन्यथा प्रदेश के अजा, जजा वर्ग आंदोलन करने को मजबूर होगा।

भवदीय

ई. आशा राम मीणा
महासचिव

जे.पी. विमल (Retd. IAS)
अध्यक्ष

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय
कार्मिक विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय : **कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 10.10.2002 में संशोधन नहीं करने के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ''राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 10.10.2002 के परिपत्र के अनुसार अनु. जाति, जनजाति के अधिकारी/कर्मचारी जब तक उपलब्ध नहीं होते तब तक पद खाली रखे जावेंगे'', लेकिन आज दिनांक 15.10.2012 की राजस्थान पत्रिका में छपी खबर के अनुसार ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार केवल तीन वर्ष तक ही पदों को अग्रेषित करने का निर्णय ले रही है।

कार्मिक विभाग से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त अधिसूचना पदोन्नति के सम्बन्ध में न होकर विभिन्न सेवाओं में प्रथम प्रवेश की भर्ती के बैकलॉग के सम्बन्ध में जारी की जा रही है।

महोदय हम आपके ध्यान में लाना चाहते है कि वर्ष 2000 से पूर्व इस प्रकार की व्यवस्था होने के कारण बैकलॉग की रिक्तियों को भरने के सम्बन्ध में काफी अनियमितताएँ व गड़बड़ियाँ की जाती रही थी। योग्यता के अनुसार अभ्यार्थी की अनुउपलब्धता तथा अन्य बहाने लेकर बैकलॉग के पदों को अजा, जजा से भरने की बजाय सामान्य वर्ग से भर दी जाती थी। इसी समस्या के समाधान के लिए दिनांक 09.06.2000 को संविधान में संशोधन कर आर्टीकल 16 (4बी) जोड़ा गया। जिससे द्वारा बैकलॉग की रिक्तियों को भरने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई तथा 50 प्रतिशत से भी अधिक सीमा तक भरने का प्रावधान किया गया। इस आर. के. सबरवाल के मामले में भी माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा सिविल रिट पीटिशन संख्या 79/1979 निर्णय दिनांक 10.02.2005 में सही माना गया है तथा राज्य सरकार द्वारा उक्त संशोधन की पालना में अधिसूचना दिनांक 10.10.2002 जारी कर अजा, जजा के हितों की रक्षा की गई थी।

महोदय यदि इस अधिसूचना को वापिस कर तीन वर्ष का प्रावधान किया जाता है तो इससे अजा, जजा वर्ग के कर्मचारियों का ही नहीं वरन् बेरोजगार युवाओं के भविष्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर अजा, जजा वर्ग में भारी असन्तोष व्याप्त हो गया है। सरकार द्वारा पदोन्नति के मामले में जो मामूली राहत दी गई थी उस पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है।

महोदय हम आपसे यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि इसको येन केन प्रकारेण पदोन्नति के सम्बन्ध में लागू किया जायेगा। इससे राज्य सरकार द्वारा अजा जजा वर्ग को पदोन्नति में जो लाभ दिया गया है वह प्रभावहीन हो जायेगा।

उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अजा, जजा वर्ग के कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए संविधान में संशोधन किया गया था तथा राज्य सरकार द्वारा 10.10.2002 को नियम बनाये गये थे।

यह कार्य पूर्व भाजपा सरकार ने भी करने का प्रयास किया तो विधान सभा में अनु. जाति/जनजाति के विधायकों द्वारा 20.10.2000 एवं 10.10.2002 के नियम में किसी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जायेगी को लेकर हंगामा हुआ उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया की अनुपस्थिति में श्री घनश्याम तिवाड़ी, तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि उपर्युक्त दोनों नियमों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जावेगा। यह राज्य सरकार भी उसी कार्य की पुनर्रावृति करने जा रही है जिससे अजा/जनजाति वर्ग के कर्मियों की पदोन्नतियों पर तथा सीधी भर्ती पर विपरित असर पड़ेगा। इससे आरक्षित वर्ग में भारी रोष है।

अतः **अनु जाति, जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान** आपसे निवेदन करता है कि 10.10.2002 के आदेश में किसी तरह का संशोधन नहीं किया जावे अन्यथा प्रदेश के अजा, जजा वर्ग आंदोलन करने को मजबूर होगा।

भवदीय

ई. आशा राम मीणा
महासचिव

जे.पी. विमल (Retd. IAS)
अध्यक्ष